समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

बड़ी खबर ! RBI ने देश के 5 बड़े बैंकों पर लगाया लाखों रुपए का जुर्माना, नियमों का पालन न करने पर लगाया जुर्माना।

Publisher Published on 05 May 2025

भारतीय रिजर्व बैकं ने देश के 5 प्रमुख बैकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पांच बैकों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 5 प्रमुख बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पांच बैंकों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें देश के अग्रणी बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। आइए देखें किस बैंक पर कितना जुर्माना लगा इसकी विस्तृत जानकारी।

आईसीआईसीआई बैंक पर 97.20 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक पर कुल 97.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक पर यह जुर्माना साइबर सुरक्षा ढांचे, केवाईसी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

एक्सिस बैंक पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक एक्सिस बैंक पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक्सिस बैंक पर कार्यालय खातों के अनधिकृत संचालन के संबंध में आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

आईडीबीआई बैंक पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर कुल 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आईडीबीआई बैंक पर यह जुर्माना किसान

क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले अल्पावधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर कुल 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर यह जुर्माना बैंक में स्थित वित्तीय सेवाओं और ग्राहक सेवा काउंटरों पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर कुल 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह जुर्माना केवाईसी से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.